झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

—:अधिसूचना :—

राँची, दिनांक 19/04/2017

संचिका सं0–06/अभि0(स्था0)स0लो0अभि0–15/60/07(खण्ड–1)......2129......

अभियोजन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड अभियोजन सेवा नियमावली, 2011 का गठन विभागीय अधिसूचना संख्या– 3418, दिनांक 27.08.2011 द्वारा किया गया है। अभियोजक के पदों पर नियुक्ति के संबंध में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त नियमावली में कतिपय बिन्दुओं पर संशोधन करने का परामर्श दिया गया है। साथ ही कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या–13026 दिनांक 27.11.12, ज्ञापांक 1794 दिनांक 04.04.2007 एवं संकल्प संख्या 2719 दिनांक 24.05.2004 द्वारा जारी दिशा–निर्देश के आलोक में भी उक्त नियमावली में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। तद्नुसार अधिसूचना संख्या– 3418, दिनांक 27.08.2011 द्वारा गठित **झारखण्ड अभियोजन सेवा नियमावली, 2011** में निम्न संशोधन किया जाता है–

(1) नियमावली की कंडिका– 2 **(xi)** में वर्णित प्रावधान " अभियोजन पदाधिकारी से अभिप्रेत है– सहायक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक या समकक्ष पद।" में " या समकक्ष पद" को विलोपित किया जाता है।

(2) नियमावली की कंडिका– 8 में वर्णित प्रावधान " विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जून माह में रिक्ति की गणना प्रारम्भ की जायेगी एवं दिसम्बर माह तक सेवानिवृत होने वाले की गणना की रिक्ति में शामिल की जायेगी। तद्नुसार 31 दिसम्बर तक सेवा निवृत होने की गणना कर दिसम्बर माह में रिक्ति की गणना लोक सेवा आयोग को सूचित कर दिया जायेगा।" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है–

" कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0 13026 दिनांक 27.11.2012 के अनुसार विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना की जायेगी। "

(3) नियमावली के कंडिका–9 (ग) में वर्णित प्रावधान " नियुक्ति में संबंधित अन्य शर्ते वही होगी जो राज्य की अन्य समकक्ष सेवाओं के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर

लागू की जायेगी। प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप अनुसूची–II में किए गए प्रावधान एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होगी।"को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"नियुक्ति में संबंधित अन्य शर्तें वही होगी जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी। प्रतियोगिता परीक्षा का स्वरूप अनुसूची–II में किए प्रावधान एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होगी।"

(4) नियमावली के **कंडिका**– 10 (ख) में वर्णित प्रावधान " न्यूनतम उम्र सीमा विज्ञापन की तिथि को 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायगी। " को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है–

" न्यूनतम उम्र सीमा विज्ञापन की तिथि को 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा एवं दिव्यांग (निःशक्त) व्यक्तियों हेतु उम्र सीमा में छूट वही होगी जो राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायगी। उम्र निर्धारण हेतु कट–ऑफ–डेट अधियाचना वर्ष की 01 अगस्त होगी। वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने तीन (03) वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।"

(5) नियमावली के **कंडिका**– 12 में वर्णित प्रावधान " आयोग प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर कोटिवार मेधा सूची तैयार करेगी। तैयार की गई सूची में से आयोग उतनी संख्या में कोटिवार अभ्यर्थियों की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा जितनी संख्या में रिक्तियाँ प्रतिवेदित की गई हों। किसी अभ्यर्थी के योगदान न करने पर रिक्तियाँ अग्रणित की जायेगी। " को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है–

"आयोग प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर समेकित मेधा सूची तैयार करेगा। तैयार की गई सूची में से आयोग उतनी संख्या में कोटिवार अभ्यर्थियों की अनुशंसा राज्य सरकार को करेगा जितनी संख्या में रिक्तियाँ प्रतिवेदित की गई हों। किसी अभ्यर्थी के योगदान न करने पर रिक्तियाँ अग्रणित की जायेगी। ")

(6) नियमावली के **कंडिका– 13** में वर्णित प्रावधान " आयोग रिक्तियों को भरने के लिये कोटिवार सफल उम्मीदवारों की सूची, मेधा के क्रमानुसार तैयार करेगा। जब दो या दो से अधिक उम्मीदवारों का प्राप्तांक समान हो तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार कम उम्र वाले उम्मीदवार से वरीय होंगे। इस प्रकार तैयार की गई सूची गृह विभाग झारखण्ड सरकार को नियुक्ति की अनुशंसा के साथ आयोग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी। आयोग की अनुशंसा विभाग में प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगी। " को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है–

"आयोग रिक्तियों को भरने के लिये सफल उम्मीदवारों की सूची मेधा के क्रमानुसार तैयार करेगा। जब दो या दो से अधिक उम्मीदवारों का प्राप्तांक समान हो तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार कम उम्र वाले उम्मीदवार से वरीय होंगे। इस प्रकार तैयार की गई सूची गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड को नियुक्ति की अनुशंसा के साथ आयोग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी। आयोग की अनुशंसा विभाग में प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगी। "।

(7) नियमावली के कंडिका–14 में वर्णित प्रावधान " वरीयता– इस नियमावली के अधीन इस सेवा में सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों (सहायक लोक अभियोजक) की वरीयता का निर्धारण निम्नांकित परीक्षाओं में अर्जित कुल प्राप्तांकों के आधार पर बनाई गई मेधा क्रमानुसार किया जाएगा/होगा।

(I) आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल प्राप्तांक।

(II) प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्ति के उपरांत ली जाने वाली परीक्षा में प्राप्त कुल प्राप्तांक।

(III) पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्ति के उपरांत ली जाने वाली परीक्षा में प्राप्त कुल प्राप्तांक। " को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है–

5/ "वरीयता– इस नियमावली के अधीन इस सेवा में सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों (सहायक लोक अभियोजक) की वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा भेजे गये मेधा सूची के अनुसार होगा। "

(8) उक्त नियमावली की कंडिका 16 **(ii)** के उपरांत निम्न प्रावधान को कंडिका 16 (iii) के रुप में समावेशित किया जाता है–

"16 (iii) सेवा संपुष्टि के पूर्व राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) द्वारा निर्धारित किसी एक जनजातीय भाषा की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।"

(9) नियमावली के कंडिका– 18 में वर्णित प्रावधान–

"(क) अपर लोक अभियोजक का पद इस सेवा के मूल कोटि (सहायक लोक अभियोजक) के पद से प्रोन्नति द्वारा वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर भरे जायेगें। प्रोन्नति के प्रस्ताव में सरकार द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन/स्वरूप वही होगा जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा सदृश्य सेवाओं के लिए अधिसूचित किया जायेगा। सहायक लोक अभियोजक से अपर लोक अभियोजक के पद पर प्रोन्नति हेतु अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मापदंड अनुसूची (IV) में दिए गए उपबंधों के अनुसार होगा।

(ख) लोक अभियोजक का पद अपर लोक अभियोजक के पद से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। प्रोन्नति हेतु वरीयता के आधार पर योग्य अपर लोक अभियोजकों की एक सूची अभियोजन निदेशालय के परामर्श से गृह विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा। यह सूची कुल रिक्त पदों की संख्या के 1:2 के अनुपात में तैयार की जायेगी। सूची के साथ प्रोन्नति का प्रस्ताव विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष रखा जाएगा। रिक्तियों के विरुद्ध प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा अनिवार्य होगा। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन/स्वरूप वही होगा जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा सदृश्य सेवाओं के लिए अधिसूचित किया जायेगा। अपर लोक अभियोजक से लोक अभियोजक के पद पर प्रोन्नति हेतु अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मापदंड अनुसूची (IV)

में दिए गए उपबंधों के अनुसार होगा। " को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है–

"18 (क) अपर लोक अभियोजक का पद इस सेवा के मूल कोटि (सहायक लोक अभियोजक) के पद से प्रोन्नति द्वारा वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर भरे जायेगें। प्रोन्नति के प्रस्ताव में सरकार द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन/स्वरूप वही होगा जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। सहायक लोक अभियोजक से अपर लोक अभियोजक के पद पर प्रोन्नति हेतु अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मापदंड अनुसूची (IV) में दिए गए उपबंधों के अनुसार होगा।

(ख) लोक अभियोजक का पद अपर लोक अभियोजक के पद से प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा। प्रोन्नति हेतु वरीयता के आधार पर योग्य अपर लोक अभियोजकों की एक सूची अभियोजन निदेशालय के परामर्श से गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा। यह सूची कुल रिक्त पदों की संख्या के 1:2 के अनुपात में तैयार की जायेगी। सूची के साथ प्रोन्नति का प्रस्ताव विभागीय प्रोन्नति समिति के समक्ष रखा जाएगा। रिक्तियों के विरूद्ध प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा अनिवार्य होगा। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन/स्वरूप वही होगा जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। अपर लोक अभियोजक से लोक अभियोजक के पद पर प्रोन्नति हेतु अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मापदंड अनुसूची (IV) में दिए गए उपबंधों के अनुसार होगा। "

(10) उक्त नियमावली के अनुसूची–II की कंडिका (B) मुख्य परीक्षा में निम्न प्रावधान को कंडिका (B)(i) के रुप में समावेशित किया जाता है–

"(B)(i) मुख्य परीक्षा में झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित 09 क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक भाषा की 100 अंकों का परीक्षा होगी जो मूल नियमावली में दर्ज विषयों के अतिरिक्त होगी। इस पत्र का अंक मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं होगा, परंतु इसमें

उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके लिए न्यूनतम अर्हतांक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–13026 दिनांक 27.11.12 के अनुसार होगा।"

(11) उक्त नियमावली के अनुसूची–II की कंडिका 2 में वर्णित लिखित परीक्षा से सम्बन्धित विषयक विवरण " विधि विषयों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक (Minimum Qualifying Marks) सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए 40 प्रतिशत होगा। " को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है–

"विधि विषयों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक (Minimum Qualifying Marks) सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (BC-2) के लिए 36.5 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग (BC-1) के लिए 34 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जन जाति एवं महिला वर्ग के लिए 32 प्रतिशत होगा।"

(12) नियमावली की कंडिका 7 में वर्णित रिक्तियों में आरक्षण– " भर्ती एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा " को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है–

" भर्ती एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों/रोस्टर का अनुपालन अनिवार्य होगा। दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संकल्प सं0 7281 दिनांक 07.11.2007 के अनुरूप होगा। साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों सहित अन्य कोटि के आरक्षण नियमों में समय–समय पर किये गये संशोधन मान्य होगें। "

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

17/04/17

(एस0के0 जी0 रहाटे)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–6/अभि0(स्था0)स0लो0अभि0–15/60/07(खण्ड–1)–2129 राँची, दिनांक 19/04/2017

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय प्रेस, डोरण्डा, रांची को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17/04/17

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–6/अभि0(स्था0)स0लो0अभि0–15/60/07(खण्ड–1)–2129 राँची, दिनांक 19/04/2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/महाधिवक्ता, झारखण्ड, रांची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, रांची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ निदेशक अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, झारखण्ड, रांची/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची/नोडल पदाधिकारी (ई–गजट) गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/04/17

सरकार के प्रधान सचिव